राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (316) ग्राविवि / ग्रुप–5 / पीएमएवाई / अभि. / तक.अनु.स. / 2017–18 जयपुर, दिनांक 5/4/17

–:: बैठक सूचना ::–

विधान सभा में दिनांक 27.03.2017 को विभागीय अनुदान मांगों पर उत्तर देते समय माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में चर्चा हेतु शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक **दिनांक 10.04.2017 को दोपहर 12:00 बजे से 01.30 तक** समिति कक्ष में आहुत की गई है, जिसमें निम्न अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:–

1. अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
3. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
5. श्री पराग चौधरी– अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग।
6. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद भीलवाडा एवं पाली ।
7. जयपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जयपुर ।
8. अजमेर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद अजमेर (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।
9. भरतपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद भरतपुर (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।
10. बीकानेर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद बीकानेर (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।
11. कोटा संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद कोटा (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।
12. जोधपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जोधपुर (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।
13. उदयपुर संभाग– अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद उदयपुर (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।

मुख्यालय स्तर के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् भीलवाडा एवं पाली (व्यक्गित रूप से) मुख्यालय के समिति कक्ष में एवं सम्भाग स्तरीय सदस्य जिला मुख्यालय पर वीसी के माध्यम से बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर भाग लेने का श्रम करावे।

बैठक में चर्चा के मुख्य एजेण्डा बिन्दु परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5 जिला कलेक्टर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाडा एवं पाली।
6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाडा एवं पाली।
7 संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास।
8 अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण. विभाग।
9 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
10 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा।
11 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
12 श्री पराग चौधरी- अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग को ऐजेन्डा बिन्दू 10 के सम्बन्ध में पालनार्थ।
13 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद भीलवाडा एवं पाली।
14 अजमेर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद अजमेर।
15 भरतपुर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद भरतपुर ।
16 बीकानेर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद बीकानेर।
17 जयपुर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जयपुर।
18 कोटा संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद कोटा।
19 जोधपुर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद जोधपुर।
20 उदयपुर संभाग- अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद उदयपुर।
21 श्री श्रीपाल यादव, प्रोग्रामर, एनआईसी, को जिला अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर को कनेक्ट करने एवं वीसी रूम में निर्धारित समय पर व्यवस्था करने हेतु।
22 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट 1

तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 10.04.2017 में चर्चा के मुख्य ऐजेण्डा बिन्दु :–

1. गॉवों में जो भी सड़के बनती थी कि चौडाई 3.75 मीटर ही अनुमत थी, इसे बढाकर गॉवों के अन्दर आन्तरिक सड़कें वॉल–टू–वॉल नालियों के साथ निर्माण होगा के आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा एवं आन्तरिक सड़कों के तकनीकी मापदण्ड निर्धारित करने पर चर्चा।
2. पूर्व में ग्रेवल सड़को की मरम्मरत के एवं आयु के कोई मापदण्ड/समय सीमा निर्धारित नही थी। अब मेरे द्वारा सदन में घौषणा की गई है कि जो ग्रेवल सड़क निर्माण के एक वर्ष में लागत की 5 प्रतिशत राशि, दूसरे वर्ष लागत की 10 प्रतिशत राशि व तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत राशि मरम्मरत के लिये खर्च की जा सकेगी व ग्रेवल सड़क की अधिकतम आयु 5 वर्ष होगी, आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा।
3. आम तौर पर गॉवों एवं ढाणियों में कदीमी रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है, किन्तु वो लागातार उपयोग में आ रहे हैं। इन रास्तों में खंरजा बनाना हो या सड़क बनानी हो या सड़क बनानी हो तो खातेदार की सहमति से बनानें की अनुमति की मेरे द्वारा घोषणा की गई है, इस सम्बंध में आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा।
4. समिति निविंदा के माध्यम से ग्राम पंचायत को रू. 5.00 लाख तक के कार्य कराये जाने की स्वीकृति थी, इसे बढाकर रू. 5.00 लाख के स्थान पर रू. 10.00 लाख करने की मेरे द्वारा घोषणा की गई है। इस घोषणा अनुसार ग्राम पंचायत रूपये 10.00 लाख तक एक कार्य एवं 1 वर्ष में रूपये 50.00 लाख तक के कार्य अपने स्तर पर समिति निविंदा के माध्यम से कराने की स्वीकृति देते हुये आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा।
5. ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2016–17 मे विभागीय कार्यो हेतु टेण्डर किये हुये है, जिनकी अवधि दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो रही है। चूंकि पंचायतों द्वारा आगामी वर्ष के लिये टेण्डर नहीं किये गये है। सभी कार्य बाधित होने संभावित है। अतः वर्तमान में प्रभावी टेण्डरों की अवधि 3 माह बढ़ाने के आदेश जारी करें, ताकि पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्य सुचारू रूप से चल सकें, पर चर्चा।
6. बीएसआर सॉफ्टवेयर की सामग्री सूची में सडक कार्य हेतु सामग्री मद के तहत क्र.सं. 7. 1 पर अंकित सामग्री विवरण "63–40 मिमी हाथ से टूटी पत्थर की रोडी के स्थान पर 63–40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई पत्थर की रोडी करने बाबत् चर्चा।
7. फ्लाई ऐश के उपयोग एवं संवर्धन के संबंध मे भारत सरकार द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना के क्रम में फ्लाईऐश से निर्मित ईंटों का विभागीय निर्माण कार्य में उपयोग करने व बीएसआर में आईटम सम्मिलित करने हेतु सामग्री परिभाषित करने व आईटम को बाबत् चर्चा।
8. श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना 05.07.2016 अनुसार अकुशल एवं अर्द्धकुशल (मेट) की पुनरिक्षित दर क्रमशः रूपये 201 प्रति दिवस व 211 प्रति दिवस नरेगा अनुभाग द्वारा जारी दिनांक 09.03.2017 के अनुसार अकुशल श्रमिक की पुनरीक्षित दर रूपये 192 प्रति दिवस का बीएसआर सॉफ्टवेयर में अपडेट करने पर चर्चा।
9. माननीय मंत्री महोदय द्वारा मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में अर्द्वकुशल श्रमिक की मजदूरी प्रचलित बाजार दर के समकक्ष करने के लिये आदेश प्रसारित करने बाबत चर्चा।
10. गावों में श्रमीको का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, इनकी बीएसआर/दर विश्लेषण का निर्धारण पर चर्चा।
11. अन्य बिन्दु :–